संख्या- 34/2018/आ0मि0179/96-आयुष-2-2017-215/2016

प्रेषक,

यतीन्द्र मोहन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी,
लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2018

विषय- राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में स्वीकृत एवं अवशेष धनराशि का उपयोग जनपद कानपुर नगर में 50 शैययायुक्त एकीकृत चिकित्सालय के निर्माण वित्तीय वर्ष 2017-18 में करने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-21/2018/आ0मि0146/96-आयुष-2-2017-215/2016 दिनांक 14 मार्च, 2018 के आंशित संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2018 में रू0 318.45 लाख (रूपया तीन करोड़ अट्ठासी लाख पैतालीस हजार मात्र) के स्थान पर रू0 318.45 लाख (रूपया तीन करोड़ अट्ठारह लाख पैतालीस हजार मात्र) पढा जाय। उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित हुआ समझा जाय।

2- उक्त शासनादेश संख्या-21/2018/आ0मि0146/96-आयुष-2-2017-215/2016 दिनांक 14 मार्च, 2018 की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेगें।

भवदीय,

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव।

संख्या- 34(1)/2018/आ0मि0179 /96-आयुष-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3- वित्त प्रबन्धक, राज्य आयुष सोसाइटी उ0प्र0 लखनऊ
4- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 लखनऊ ।
5- निदेशक, आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 वित्त् (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-3
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in